


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 17 सितम्बर, 2018

- संख्या-1/अ0-422/2007-सा0प्र0-12537 / श्री बालामुरुगन डी, भा0प्र0से0(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना-सह- राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह- आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-11.09.2018 से 20.09.2018 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री बालामुरुगन डी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में जीविका के प्रभार में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग रहेंगे।
 3. श्री बालामुरुगन डी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



17.9.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-12537/पटना-15, दिनांक: 17 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित विभाग/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री बालामुरुगन डी, भा0प्र0से0(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना-सह- राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह- आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1, 6 एवं 12) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री बालामुरुगन डी को दिनांक-21-22 सितम्बर, 2018 का घोषित सार्वजनिक /राजपत्रित अवकाश छुट्टी के अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।


17.9.18
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।